तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टी.ए./4586/2010/अलवर उमराव बनाम सुमेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

18-10-2011

एकलपीठ

श्री ताराचन्द सहारण, सदस्य

उपस्थित-

श्री खडगसिंह, अधिवक्ता, प्रार्थीगण

श्री अजीतसिंह, अधिवक्ता, अप्रार्थीगण

निर्णय

प्रार्थीगण ने यह निगरानी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 230 के अन्तर्गत भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-7-2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

आलोच्य आदेशानुसार राजस्व अपील प्राधिकारी ने उनके न्यायालय में लम्बित अपील के साथ प्रस्तुत स्थगन प्रार्थनापत्र पर आदेश पारित करते हुए विवादित आराजी के मौका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश पारित किया है।

योग्य अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा निगरानी मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि प्रार्थीगण अपने पिता के जमाने से गत 50 वर्षो से विवादित आराजी पर बहैसियत रिकार्डेड खातेदार होकर काबिज चले आ रहे है, जिस तथ्य को विचारण न्यायालय द्वारा भी स्वीकार करते हुए अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थनापत्र को खारिज किया गया था किन्तु अपीलीय न्यायालय द्वारा रिकार्डेड खातेदार को बिना समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकतरफा में निगराधीन आदेश पारित कर विवादित आराजी के मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने का आदेश पारित कर दिया, जो निरस्त किये जाने योग्य है। उनका यह भी कथन है कि विवादित आराजी रीको द्वारा अवाप्त की जा चुकी है व रीको विभाग की ओर से अवाप्ति अधिकारी ने अवार्ड भी जारी कर दिये है किन्तु विपक्षी ने नाजायज तौर पर प्रार्थीगण को देय अवार्ड को यथास्थिति के आदेश के तहत रूकवा दिया है, ऐसी स्थिति में अस्पष्ट आदेश को निरस्त किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। उनका यह भी कथन है कि प्रस्तुत निगरानी प्रकरण दिनांक 10-8-2010 को विचारार्थ ग्रहण कर लिया था, अतः प्रकरण के संधारण योग्य नहीं होने का बिन्दू इस स्तर पर नहीं उठाया जा सकता है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश को निरस्त किया जावे।

इसके विपरीत अप्रार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रारम्भिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि प्रार्थीगण द्वारा अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की है, मूल

(b) that the defendant threatens, or intends, to remove or dispose of his property with a view to (defrauding) his creditors,

(c) that the defendant threatens to dispossess the plaintiff or otherwise cause injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit.

The Court may by order grant a temporary injunction to restrain such act, or make such other order for the purpose of staying and preventing the wasting, damaging, alienation, sale, removal or disposition of the property for dispossession of the plaintiff, or otherwise causing injury to the plaintiff in relation to any property in dispute in the suit) as the Court thinks fit, until the disposal of the suit or until further orders.

2- Injunction to restrain repetition or continuance of breach -

(1) In any suit for restraining the defendant from committing a breach of contract or other injury of any kind, whether compensation is claimed in the suit or not, the plaintiff may, at any time after commencement of the suit, and either before or after judgment, apply to the Court for a temporary injunction to the restrain the defendant from committing the breach of contract or injury complained or, or any breach of contract or injury of a like kind arising out of the same contract or relating to the same property or right.

(2) The Court may by order grant such injunction, on such terms as to the duration of the injunction, keeping an account, giving security, or otherwise, as the Court thinks fit.

{2-A. Consequence of disobedience or breach of injunction-

(1) In the case of disobedience of any injunction granted or other order made under rule 1 or rule 2 or breach of any of the terms on which the injunction was granted or the order made, the Court granting the injunction or making the order, or any Court to which the suit or proceeding is transferred, may order the property of the person guilty of such disobedience or breach to be attached and may also order such person to be detained in the civil prison for a term not exceeding three months, unless in the meantime the Court directs his release.

(2) No attachment made under this rule shall remain in force for more than one year, at the end of which time, if the disobedience or breach continues, the property attached may be sold and out of the proceeds, the Court may award such compensation as it thinks fit to the injured party and shall pay the balance, if any, to the party entitled thereto.}

3. Before granting injunction, Court to direct notice to opposite party-

The Court shall in all cases, except where it appears that the object of granting the injunction would be defeated by the delay, before granting an injunction, direct notice of the application for the same to be given to the opposite party:

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टी.ए./4586/2010/अलवर उमराव बनाम सुमेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए

योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण का यह कथन कि प्रस्तुत निगरानी प्रथम दृष्ट्या ही पोषणीय नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है, स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है क्योंकि प्रस्तुत निगरानी प्रकरण में सारभूत कानूनी बिन्दू निहित होने से माननीय एकलपीठ द्वारा दिनांक 10-8-2010 को विचारार्थ ग्रहण कर स्थगन आदेश भी पारित कर दिया गया था। अतः प्रस्तुत निगरानी प्रकरण की पोषणीयता पर पुनः कोई आदेश पारित किये जाने की आवश्यकता नहीं है। जहां तक विवादित आराजी के मुआवजा राशि उठा लेने का प्रश्न है, अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-7-2010 की पालना को राजस्व मण्डल की माननीय एकलपीठ द्वारा दिनाक 10-8-2010 को ही स्थगित कर दिया। उसके उपरान्त अप्रार्थीगण की ओर से करीब आठ माह उपरान्त दिनांक 13-4-2011 को प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 151 जाप्ता दीवानी प्रस्तुत कर प्रार्थीगण को अवाप्तशुद्धा विवादित आराजी की मुआवजा राशि प्राप्त करने से पाबन्द किये जाने का अनुतोष चाहा गया। अपने प्रार्थनापत्र के समर्थन में योग्य अधिवक्ता अप्रार्थीगण द्वारा ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है जिससे यह प्रमाणित हो कि प्रार्थीगण अवाप्तशुद्धा विवादित आराजी का मुआवजा राशि उठाने का प्रयास कर रहे है। इसके अलावा पत्रावली पर ऐसा तथ्य नहीं है, जिससे मुआवजा राशि प्रार्थीगण उठा लेगे, इसकी पुष्टि होती हो। अतः अप्रार्थीगण का यह प्रार्थनापत्र भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन के परिणामस्वरूप प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28-7-2010 निरस्त किया जाकर प्रकरण उन्हें इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनकर अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर अधिकतम् 30 दिवस की अवधि में आवश्यक रूप से करेगें।

उभय पक्ष को जरिये अधिवक्तागण पाबन्द किया जाता है कि वे भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के न्यायालय में दिनांक 15-11-11 को उपस्थित होकर अपील के शीघ्र निस्तारण में न्यायालय में सहयोग प्रदान करेगें।

उभय पक्ष के योग्य अधिवक्तागण को नियमानुसार निर्णय से सूचित किया जावे।

[signature]

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही इनिशियल्सजज निगरानी/टी.ए./4586/2010/अलवर उमराव बनाम सुमेरसिंह	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
	निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर को नियमानुसार भिजवाई जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। 18-10-2011 (ताराचन्द सहारण) सदस्य	